भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1162
03 दिसंबर 2024, को उत्तरार्थ

विषय: कृषि वानिकी क्षेत्र की संभावनाएं
1162. श्रीमती डी. के. अरुणाः
श्री इटेला राजेंदरः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या कृषि वानिकी क्षेत्र में देश की विशाल क्षमता वनरोपण, पुनर्वनरोपण और पुनर्वनीकरण (एआरआर) पहल के माध्यम से कार्बन वित्त परियोजनाओं के साथ एकीकृत करने का एक अनूठा अवसर है और कृषि वानिकी के तहत क्षेत्र को वर्तमान 28.4 मिलियन हेक्टेयर से बढ़ाकर 2050 तक 53 मिलियन हेक्टेयर करने की संभावना है क्योकि कृषि वानिकी देश के कुल भूमि क्षेत्र का 8.65 प्रतिशत है और 19.3 प्रतिशत कार्बन स्टॉक का योगदान देता है और इस प्रकार, कृषि वानिकी पर्यावरणीय स्थिरता और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक क्या कदम उठाए गए हैं पिछले नौ वर्षों के दौरान और इसके क्या परिणाम मिले हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क) एवं (ख): कृषि वानिकी को सूक्ष्म जलवायु संतुलन, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, कार्बन पृथक्करण को बढ़ाने/ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने और आजीविका के अवसरों के अतिरिक्त स्रोतों के निर्माण के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने की क्षमता के रूप में जाना जाता है। भारत सरकार ने कृषि भूदृश्य में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2014 में राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति तैयार की थी। इस नीति में संगठित तरीके से कृषि वानिकी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक मिशन की स्थापना की सिफारिश की गई थी। कृषि वानिकी उप-मिशन (एसएमएएफ) को वर्ष 2016-17 से 2021-22 के दौरान 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया गया था, जिसका उद्देश्य "हर मेढ़ पर पेड़" के आदर्श वाक्य के साथ कृषि भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना था, साथ ही फसलों/फसल प्रणाली के साथ किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त करने और उनकी कृषि प्रणालियों को अधिक जलवायु अनुकूल बनाने में मदद करना था। वर्ष 2016-17 से 2021-22 के दौरान कुल 1.21 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया, जिसमें इस योजना के तहत कुल 532.30 लाख पेड़ लगाए गए हैं।

यह कार्यक्रम वर्ष 2023-24 से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के कृषि वानिकी घटक के रूप में जारी है। आरकेवीवाई के तहत पुनर्गठित कृषि वानिकी घटक किसानों को गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री (क्यूपीएम)/गुणवत्तापूर्ण पौधे उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि वानिकी नर्सरियों की स्थापना में सहायता करता है। वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 156 नई कृषि वानिकी नर्सरियाँ स्थापित की गई हैं और 470 मौजूदा नर्सरियों को सहायता प्रदान की गई है।

इस योजना के तहत आईसीएआर-केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान (सीएएफआरआई) और भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) द्वारा विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के लिए विकसित कृषि वानिकी मॉडलों के तहत कृषि फसलों के साथ अंतर-फसल को प्रोत्साहित करने के लिए योजना के तहत बढ़ावा दिया जाता है। इसके अलावा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पनधारा विकास घटक), राज्य वन विभाग की योजनाओं आदि सहित सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत कृषि वानिकी रोपण गतिविधि के साथ-साथ किसानों को पौधे वितरित किए जा रहे हैं। आईसीएआर-सीएएफआरआई की रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर 2022 तक देश में कृषि वानिकी के तहत लगभग कुल 28.427 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है।

****